दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित: 09 अक्टूबर, 2023
उद्घोषित:04 जनवरी, 2024

<u>आ.प्र.अ. (मू.प.) (वाणि.) 324/2022</u>

फाइव स्टार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ..... अपीलकर्ता

द्वारा: श्री कवलजीत कोचर, श्री दीपांशु और श्री उत्कर्ष वत्स, अधिवक्तागण।

बनाम

ऑर्किड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री मनीष शर्मा, श्री निनाद डोगरा और सुश्री आद्या राव, अधिवक्तागण।

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नीना बंसल कृष्णा

<u>निर्णय</u>

<u>नीना बंसल कृष्णा, न्या.</u>

1. **वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 13 सहपठित मध्यस्थता और सुलह 1996 की धारा 37 के तहत अपील**, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 19.07.2022 को पारित आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 *(इसके बाद "अधिनियम, 1996" के रूप में संदर्भित)* की धारा 34 के तहत आपत्तियों की अनुमति दी गई है और

इस प्रकार दिनांक 10.09.2018 के अधिनिर्णय को अपास्त कर दिया गया है जिसमें आंशिक रूप से अपीलकर्ता के पक्ष में अनुमति दी गई थी।

2. प्रत्यर्थी ऑर्किड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (*इसके बाद* "ऑर्किड" *के रूप में संदर्भित*) को दिनांक 20.12.2010 के पत्र के द्वारा गुरुग्राम में 257 से 262 और 261-ए संख्या वाले 7 भूखंडों पर 21 आवासीय इकाइयों, (डीयू) ऑर्किड द्वीप के निर्माण के लिए 685/- रूपये प्रति वर्ग फुट की दर से प्रतिफल 2,21,01,162/- रूपये पर अनुबंध पर दिया गया था। परिणामस्वरूप दिनांक 28.12.2010 को एक विस्तृत अधिनिर्णीत पत्र और अनुबंध करार निष्पादित किया गया। शर्तों के अनुसार, कार्य प्रारंभ होने की तिथि 28.12.2010 थी और समाप्ति की तिथि अस्थायी तौर पर 31.12.2011 तय की गई थी।

3. परियोजना के पूरा होने में देरी हुई और प्रत्येक पक्षकार ने दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। इस प्रकार दोनों पक्षकारगण के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। ऑर्किड ने तर्क दिया कि उसने अपीलकर्ता फाइव स्टार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद "फाइव स्टार" के रूप में संदर्भित) को 11,05,058/- रूपये का मोबिलाइजेशन एडवांस जारी किया है और अनुबंध के संदर्भ में नियमित रूप से भुगतान किया है।

4. हालांकि, फाइव स्टार ने बार-बार विस्तार की मांग की, जिसे ऑर्किड द्वारा प्रदान किया गया था, हालांकि दावों को उठाने के अपने अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना। इसके बाद, ऑर्किड ने दिनांक 01.11.2012 को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिस पर फाइव स्टार से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिली। कई विनिमय के बाद, अनुबंध को 31.12.2012 तक बढ़ा दिया गया, जिसके बाद ऑर्किड ने विस्तार देने से इनकार कर दिया। इसके बाद, इस मुद्दे को हल करने के लिए 16.01.2013 को एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई। पक्षकारगण के बीच यह सौहार्दपूर्ण और पारस्परिक रूप से निर्णय लिया गया

था कि ऑर्किड अपीलकर्ता के दावों के प्रति किसी भी पूर्वाग्रह के बिना शेष कार्य को पूरा करेगा।

5. फाइव स्टार ने दिनांक 07.05.2013 को एक अंतिम बिल जारी किया, जिसके जवाब में ऑर्किड ने फाइव स्टार को किए गए काम के संयुक्त सत्यापन के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए कहा। ऑर्किड के अनुसार, काम का काफी हिस्सा अभी भी पूरा होना बाकी है और इसने फाइव स्टार की लागत और जोखिम पर परियोजना को दूसरे ठेकेदार को सौंप दिया। ऑर्किड ने दावा किया कि परियोजना को समय पर पूरा नहीं करने में फाइव स्टार के कृत्यों के परिणामस्वरूप, आवासीय इकाइयों का कब्जा सौंपने में देरी के कारण उसे अपने ग्राहकों को "विलंब दंड" का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

6. फाइव स्टार ने अनुबंध के तहत मध्यस्थता का उपयोग किया और **अधिनियम, 1996 की धारा 11** के तहत एक याचिका दायर की, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 27.05.2016 के पत्र के द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति हुई।

7. **फाइव स्टार** ने निम्नलिखित दावे किएः

(क) दिनांक 14.01.2013 तक किए गए काम पर 29,60,446/- रूपये व्यय हुए;

(ख) पिछला, वादकालीन और भविष्य का ब्याज; और

(ग) मध्यस्थता और मुकदमे का फ़ीस

8. **ऑर्किड** ने फाइव स्टार के दावों का खंडन करते हुए और अपना स्वयं का **प्रतिदावा** दायर किया:

(क) प्रत्यर्थी द्वारा 18 प्रतिशत ब्याज सहित 11, 51,370/- रूपये का मोबिलाइजेशन एडवांस के रूप में भुगतान;

(ख) संविदा करार के खंड 117 के अनुसार परिनिर्धारित नुकसानी के रूप में 38,01,400/- रुपए;

(ग) संविदा करार के खंड 119 के अनुसार 80,36,607/- रुपए।

(घ) मध्यस्थता का खर्च आदि।

(ङ) इससे हुई असुविधा के लिए 10 लाख रुपए।

(च) विस्तारित अवधि के दौरान कर्मचारी को रखने पर खर्च 3,20,000/- रुपए।

(छ) सभी दावा की गई राशियों पर, ब्याज की दर वादकालीन और अधिनिर्णय के बाद 18% प्रति वर्ष की दर पर है।

(ज) केंद्र को किए गए भुगतान, विधिक और श्रमशक्ति, पर कुल 10 लाख रुपये खर्च।

9. **विद्वान मध्यस्थ** दोनों पक्षकारगण के साक्ष्य के आधार पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि **ऑर्किड के प्रति-दावे में कोई गुणागुण नहीं है**। हालांकि, **फाइव स्टार के दावे को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी** और दिनांक 10.09.2018 के आक्षेपित अधिनिर्णय के तहत **12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 4,33,877/- रुपये की राशि प्रदान की गई थी**।

10. व्यथित ऑर्किड ने अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत फाइव स्टार को दिए गए आंशिक दावे को चुनौती देते हुए याचिका दायर की। हालाँकि, इसने उक्त याचिका में अपने प्रति-दावे को खारिज करने का गंभीरता से विरोध नहीं किया।

11. **विद्वान एकल न्यायाधीश** ने विरोधी दलीलों पर विस्तार से विचार किया और कहा कि फाइव स्टार को 4,33,877 रूपया देने का सम्पूर्ण आधार ऑर्किड का अपने अभिवचनों में स्पष्ट स्वीकृति थी। हालाँकि, यह अभिनिर्धारित किया गया कि संपूर्ण अभिवचनों का अवलोकन ऑर्किड की किसी भी स्वीकारोक्ति का खुलासा करने में विफल रहा। आगे यह प्रेक्षित किया गया कि जबकि विद्वान

मध्यस्थ इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि फाइव स्टार 29,60,446/- रुपये (जिसमें 4,33,877/- रुपये की राशि भी शामिल थी) के लिए अपना दावा साबित करने में सक्षम नहीं था, फिर भी उसे 4,33,877/- रुपये की राशि प्रदान की गई जिसका फाइव स्टार ने **अंतरिम राहत** के रूप में दावा किया था और इसे मुख्य दावे में शामिल किया गया था। एक बार जब मुख्य दावे को मान्य नहीं माना गया, तो 4,33,877/- रुपये की राशि (जो अंतरिम राहत के रूप में थी) भी मान्य नहीं थी। इसलिए, अधिनियम की धारा 34 के तहत याचिका को अनुमति दी गई और फाइव स्टार को आंशिक रूप से दावा देने वाले अधिनिर्णय को अपास्त कर दिया गया।

12. अधिनियम की धारा 34 के तहत याचिका की अनुमति देने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 19.07.2022 के आदेश से **व्यथित होकर**, **फाइव स्टार ने अधिनियम की धारा 37 के तहत वर्तमान अपील दायर की है**।

13. **अपीलार्थी/ फाइव स्टार** ने अपील के आधार पर दावा किया कि, ऑर्किड द्वारा अपने पारस्परिक दायित्वों को पूरा करने में विभिन्न खामियों के कारण परियोजना के प्रारंभ में देरी हुई। ऑर्किड स्थल और योजनाओं को समय पर सौंपने में विफल रहा और सामग्री की आपूर्ति में भी देरी हुई। इस प्रकार, दोनों पक्षकारगण के बीच आपसी समझ के अनुसार अनुबंध की अवधि बढ़ाई गई।

14. आगे यह भी दावा किया गया कि समय परियोजना का सार नहीं था। ऑर्किड ने अचानक दिनांक 14.01.2013 के पत्र के द्वारा अनुबंध को समाप्त कर दिया, जिसमें इंगित किया गया था कि वे तुरंत भूखंडों को अपने नियंत्रण में ले लेंगे और फाइव स्टार के जोखिम और खर्च पर काम पूरा कराएंगे। यह दावा भी किया गया कि इसके बाद, 16.01.2013 को एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई और यह पारस्परिक रूप से निर्णय लिया गया कि ऑर्किड निर्माण-स्थान को अपने नियंत्रण में ले लेगा और फाइव स्टार के प्रति किसी भी

पूर्वाग्रह के बिना शेष कार्य को निष्पादित करेगा। यह कहा गया है कि इसकी पुष्टि ऑर्किड द्वारा दिनांक 21.01.2013 के पत्र द्वारा की गई थी। इस प्रकार, फाइव स्टार ने ऑर्किड के अनुरोध पर **14.01.2013** तक निर्माण-स्थान पर काम करना जारी रखा था। हालांकि, फाइव स्टार के श्रमिकों ने 07.05.2013 तक निर्माण-स्थान पर काम करना जारी रखा और परियोजना को पूरा किया। इस प्रकार यह दावा किया जाता है कि परियोजना को फाइव स्टार द्वारा पूरा किया गया था।

15. फाइव स्टार ने अपना अंतिम बिल 7.05.2013 को जमा किया, लेकिन ऑर्किड ने इस कथित आधार पर कोई भुगतान करने से इनकार कर दिया कि अंतिम वित्तीय निपटान पूरा काम हो जाने के बाद ही किया जाएगा। यह अनुबंध और दोनों पक्षकारगण के बीच आपसी समझ के बिल्कुल विपरीत था।

16. फाइव स्टार का **दावा सं. 1**, **29,60,466/- रूपये की वसूली के लिए था**, क्योंकि 14.01.2013 तक किए गए काम के लिए शेष राशि के रूप में, विद्वान मध्यस्थ केवल 4,33,877/- रुपया दिया गया था जो कि 14.01.2013 से 07.05.2013 के बीच किए गए काम के लिए था। यह दावा किया गया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अधिनिर्णय के पैराग्राफ 11.5 की व्याख्या करने में त्रुटि की है क्योंकि विद्वान मध्यस्थ ने दावा संख्या 1 पर विचार करते समय दिनांक 07.05.2013 अंतिम बिल को भुला दिया। विद्वान मध्यस्थ ने इस प्रकार तथ्यों को उचित रूप से समझा और 4,33,877/- रुपया प्रदान किया।

17. इस प्रकार, अपीलार्थी/फाइव स्टार द्वारा प्रार्थना की गई है कि दिनांक 19.07.2022 के आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाए।

18. **ऑर्किड की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया** कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत

अधिनिर्णय को सही ही अपास्त किया था, जिसमें अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

19. **प्रस्तुतियाँ सुनी गईं**।

20. शुरुआत में, पक्षकारगण की प्रतिद्वंद्वी दलीलों में जाने से पहले, अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत हस्तक्षेप की गुंजाइश को दोहराना उचित होगा।

21. अधिनियम, 1996 की धारा 34 और धारा 37 के तहत चुनौती का दायरा धारा 34 में निर्धारित आधारों तक सीमित है जैसा कि *एम.एम.टी.सी. लिमिटेड बनाम वेदांता लिमिटेड*, (2019) 4 एस.सी.सी. 163 में अभिनिर्धारित किया गया है। धारा 34 के तहत सार्वजनिक नीति के आधार पर हस्तक्षेप के दायरे पर व्यापक न्यायिक साहित्य को *एसोसिएट बिल्डर्स बनाम डीडीए*, (2015) 3 एस.सी.सी. 49 में अभिनिर्धारित किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने सार्वजनिक नीति की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए ओ.एन.जी.सी. बनाम सॉ पाइप्स, (2003) 5 एस.सी.सी. 705 के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें किसी अधिनिर्णय को अपास्त किया जा सकता है यदि यह *"भारतीय कानून की मौलिक नीति", "भारत का हित", "न्याय या नैतिकता"* का उल्लंघन करता है या *"पेटेंट अवैधता"* की ओर ले जाता है। किसी अधिनिर्णय को "भारतीय कानून की मौलिक नीति" के अनुरूप होने के लिए, अधिकरण को एक न्यायिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जिसका तात्पर्य है कि अधिनिर्णय निष्पक्ष, उचित और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। इन आधारों पर मध्यस्थ अधिकरण को एक तर्कसंगत निर्णय देने की आवश्यकता होती है जो साक्ष्य द्वारा प्रमाणित हो।

22. *एसोसिएट बिल्डर्स* (पूर्वोक्त) में आगे यह अभिनिर्धारित किया गया था कि, जब *"सार्वजनिक नीति"* के आधार पर किसी अधिनिर्णय को अपास्त करने का निर्णय लिया जाता है, तो *"न्याय"* शब्द केवल एक ऐसे अधिनिर्णय को संदर्भित

करता है जो अदालत की अंतःकरण को भी झकझोर देता है। एक अदालत संभवतः किसी मामले की परिस्थितियों को देखते हुए मध्यस्थ के फैसले को "न्यायपूर्ण" के रूप में प्रतिस्थापित करके उसे शामिल नहीं कर सकती है जिसे वह अनुचित मानती है।

23. *"पेटेंट अवैधता"* का आधार तब लागू होता है जब भारत के मूल कानून, मध्यस्थता अधिनियम या विवाद के विषय पर लागू नियमों का उल्लंघन होता है।

24. 2015 में संशोधन के द्वारा धारा 34 की उप-धारा 2क में जोड़ी गई पेटेंट अवैधता के तहत किसी मध्यस्थ अधिनिर्णय की चुनौती के दायरा की व्याख्या *सांगयोंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम एन.एच.ए.आई.*, (2019) 15 एस.सी.सी. 131 में किया गया है। यह देखा गया कि उप-धारा 2क को आकर्षित करने के लिए अधिनिर्णय के सामने "पेटेंट अवैधता" दिखाई देनी चाहिए जो ऐसी अवैधता को संदर्भित करती है जो मामले की जड़ तक जाती है लेकिन जो केवल कानून के गलत अनुप्रयोग के समान नहीं है। संक्षेप में, जो भारतीय कानून की मौलिक नीति के भीतर शामिल नहीं है, अर्थात्, सार्वजनिक नीति या सार्वजनिक हित से जुड़े किसी अधिनियम का उल्लंघन पिछले दरवाजे से नहीं लाया जा सकता है जब पेटेंट अवैधता के आधार पर किसी अधिनिर्णय को अपास्त करने की बात आती है। यह भी स्पष्ट किया गया था कि साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन, जो कि अपील न्यायालय को करने की अनुमति है, को पेटेंट अवैधता के आधार पर अनुमति नहीं दी जा सकती है।

25. इस पृष्ठभूमि में, वर्तमान अपील पर विचार करने की आवश्यकता है। अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि फाइव स्टार ने अपने दावे में स्पष्ट रूप से कहा था कि पुरोबंध की तारीख तक अर्थात् 14.01.2013 तक

निष्पादित कार्यों के लिए अंतिम बिल के अनुसार 29,60,446/- रूपये की राशि बकाया और देय था। फाइव स्टार का दावा संख्या 1 निम्नानुसार थाः

> *"दावा संख्या 1: रु.29,60,446/- (केवल उनतीस लाख साठ हजार चार सौ छियालिस रूपये) की राशि* ***अंतिम बिल के अनुसार 14 जनवरी 2013 तक किए गए कार्यों पर व्यय।"***

26. इस दावे को खारिज करते हुए, विद्वान मध्यस्थ ने निम्नलिखित टिप्पणी की थीः

> *"11.25 यह ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि* ***दिनांक 19.09.2013 के उक्त उत्तर प्र.सी.12 में उल्लिखित 20 लाख रुपये के मूल्य के 'उपकरण और संयंत्रों और अन्य सामग्री' (संलग्न सूची के अनुसार) का तथ्य****, दावे के विवरण के साथ-साथ दा.सा.1 श्री प्रवीण मधोक के साक्ष्य से पूरी तरह से गायब है। इसलिए, दावेदार के इस तरह के आचरण की सराहना नहीं की जा सकती है और यह मुझे यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है कि दावा संख्या 1 का कम से कम एक हिस्सा झूठ पर आधारित है और इस तरह इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।*
>
> *11.26 दावे के विवरण में* ***दावेदार द्वारा दावा संख्या 1 के तहत 'बीओक्यू मात्रा में भिन्नता' के संबंध में कोई विशिष्ट राशि का दावा नहीं किया गया है****, हालांकि इसका उल्लेख किया गया है। हालांकि दा.सा. 1 श्री प्रवीण मधोक ने अपने शपथपत्र प्र. दा.सा.1/ए के पैरा 6 में "दावा संख्या 2 के सन्दर्भ में विवरण," बीओक्यू मात्रा में भिन्नता" का उल्लेख किया है और 25,26,569/- रुपये की राशि का दावा कर रहा है। इसलिए, साक्ष्य का यह हिस्सा अभिवचनों के अनुसार नहीं है और ऊपर उल्लिखित प्र.सी12 में निहित दावेदार के स्वयं की स्वीकारोक्ति के विपरीत है। इसके अलावा ही पृष्ठ 48 जो कि मार्च-6 का हिस्सा है, दावेदार के अनुसार अंतिम बिल, "किए गए बीओक्यू कार्य" के संबंध में "0" में उल्लिखित राशि है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि यह झूठ का सहारा लेने के समान है और इस अधिकरण को भी गुमराह करने का एक प्रयास है।"*

27. **विद्वान एकल न्यायाधीश** ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के 29,60,466/- रूपये के दावे को खारिज करने को बरकरार रखने के लिए विद्वान मध्यस्थ की इन

टिप्पणियों का उचित रूप से उल्लेख किया है। चूँकि विद्वान मध्यस्थ द्वारा इस प्रकार निकाले गए निष्कर्षों में कोई पेटेंट अवैधता सामने नहीं लाई गई है, इसलिए इस संबंध में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा भी अभिप्रेक्षित किया गया है।

28. अपीलार्थी/फाइव स्टार की **एकमात्र शिकायत** विद्वान मध्यस्थ द्वारा अनुमत 4,33,877/- रुपये के अधिनिर्णय को अपास्त करना था।

29**. सर्वाधिक महत्वपूर्ण**, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा यह उचित रूप से अभिप्रेक्षित किया गया है कि दावेदार के दस्तावेजों के अनुसार 4,33,877/- रुपये की यह राशि, अंतिम बिल में बकाया 29,60,466/- रुपये की कुल राशि में शामिल की गई थी, जिसके लिए दावा संख्या 1 उठाया गया था, जिसमें यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि यह 14.01.2013 तक किए गए कार्य से संबंधित था।

30. फाइव स्टार की ओर से **न तो कोई दावा किया गया था और न ही यह बताने के लिए कोई सबूत दिया गया** कि उनके द्वारा दावा किया जा रहा 4,33,877/- रुपये, **14.01.2013 से 07.05.2013 तक श्रमिकों** द्वारा किए गए कार्य का था। वास्तव में, अपीलकर्ता फाइव स्टार ने 14.01.2013 को अनुबंध की समाप्ति के बाद 07.05.2013 तक निर्माण-स्थान पर श्रमिकों द्वारा कथित रूप से किए गए काम के लिए 4,33,877/- रुपये के लिए अलग से कोई दावा नहीं किया था, लेकिन यह एक अंतरिम राहत के रूप में दावा की गई राशि थी। विद्वान मध्यस्थ के निष्कर्ष केवल पक्षकारगण द्वारा उठाए गए दावों पर आधारित हो सकते हैं। **मध्यस्थ ऐसी राशि नहीं दे सकता जो उसे लगे कि न्याय के हित में किसी पक्षकार को दी गई है, जब उस संबंध में कोई विशिष्ट दावा न हो।** इस प्रकार, विद्वान मध्यस्थ ने 4,33,877/- रुपये की राशि देकर अपने अधिदेश और अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है।

31. विद्वान मध्यस्थ ने न केवल एक गैर-मौजूद दावे के लिए एक राशि दिया है, बल्कि 14.01.2013 से 07.05.2013 तक किए गए कार्य के लिए एक मूल्य और एक दावा भी तैयार किया है, जिसके लिए कोई तर्क, तर्काधार या गणना मौजूद नहीं है। इसे सांगयोंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, 2019 की सिविल याचिका सं 4779 में समझाया गया है कि एक निर्णय जो विकृत है, "*भारत की सार्वजनिक नीति*" के तहत चुनौती का आधार नहीं हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से पेटेंट अवैधता की श्रेणी में आएगा। **बिना किसी साक्ष्य के आधार पर एक निष्कर्ष या एक अधिनिर्णय जो अपने निर्णय पर पहुंचने में महत्वपूर्ण साक्ष्य की अनदेखी करता है, विकृत होगा और पेटेंट अवैधता के आधार पर अपास्त किया जा सकता है।**

32. इसके अलावा, *पी.एस.ए. सिकल टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट तूतीकोरिन के न्यासी मंडल और अन्य*, 2021 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 508, में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि बिना किसी साक्ष्य के आधारित अधिनिर्णय विकृत होगा।

33. इस प्रकार, भले ही तर्कों के लिए; यह स्वीकार किया गया कि 07.05.2013 तक किए गए काम का दावा मौजूद था, यह मानने का कोई आधार नहीं है कि कथित रूप से 14.01.2013 से 07.05.2013 तक किए गए काम का मूल्य 4,33,877/-, रुपये होगा विशेष रूप से जब फाइव स्टार ने अपने दावों के विवरण में विशेष रूप से 14.01.2013 तक निष्पादित कार्य के लिए 29,60,466/- रुपये का दावा किया था जिसमें 4,33,877/- रुपये शामिल थे।

34. *सतलुज विद्युत निगम लिमिटेड बनाम आईप्रकाश हुंडई कंसरोटियम*, मू.वि.या. (वा.) 170/2017 में 12.07.2023 को फैसला किया गया था, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अभिवचनों में उचित आधार के बिना

और/या उसके समर्थन में किसी भी ठोस सबूत के बिना नवीन गणितीय व्युत्पत्तियों पर आधारित वित्तीय दावे विपरीत पक्षकार के लिए बहुत पूर्वाग्रह पैदा कर सकते हैं, जिससे अधिनिर्णय में विकृति आ सकते हैं। **इसलिए, विद्वान मध्यस्थ ने, वर्तमान मामले में, बिना किसी ठोस तर्क या सबूत के आधार पर, एक गैर-मौजूदा दावे के लिए राशि प्रदान करने का अधिनिर्णय किया था।**

35. इस प्रकार, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने ठीक ही कहा है कि 4,33,877/- रुपये की यह राशि दिनांक 07.05.2013 के अंतिम बिल का हिस्सा थी जो 14.01.2013 तक किए गए कार्य के लिए थी और किसी कथित अतिरिक्त कार्य के संबंध में नहीं थी। 4,33,877/- रुपए की राशि दावा संख्या 1 का हिस्सा थी और एक बार दावा संख्या 1 को ही अस्वीकार कर दिए जाने के बाद, यह राशि, जो दावा संख्या 1 का हिस्सा थी, प्रदान नहीं की जा सकती थी।

36. प्रासंगिक रूप से, अपीलकर्ता ने 4,33,877/- रुपये की राशि का दावा किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यह ऑर्किड द्वारा **अंतरिम राहत** के रूप में इसे प्रदान की जाने वाली स्वीकृत राशि है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पुरे अभिवचन पर विस्तार से विचार किया है कि अपीलकर्ता को देय किसी भी राशि के लिए ऑर्किड की ओर से कोई भी स्वीकारोक्ति नहीं की गई थी।

37. विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता की दलीलों पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार किया है ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि रुपये की राशि-अपीलकर्ता को देय नहीं थी। इस प्रकार, विद्वान मध्यस्थ द्वारा दिए गए पुरस्कार को अधिनियम, 1996 की खंड 34 के तहत उचित रूप से अलग कर दिया गया है।

37. विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता के तर्कों पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार किया है ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अपीलकर्ता को 4,33,877/- रुपये की राशि देय नहीं थी। इस प्रकार, विद्वान मध्यस्थ द्वारा दिए गए अधिनिर्णय को अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत अपास्त करना पुर्णतः सही है।

38. हम विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाते हैं और अपील एतद्द्वारा खारिज कर दी जाती है।

39. लंबित आवेदनों, यदि कोई हों, का भी तदनुसार निपटान किया जाता है।

(नीना बंसल कृष्णा)
न्यायाधीश

(सुरेश कुमार कैत)
न्यायाधीश

04 जनवरी, 2024
इ.के./वी.ए.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*